देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/19 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

अवैध निर्माणों के विरुद्ध आम जन का मिशन मास्टर-प्लान

भाग-1

बढ़ रही परेशानियां...
कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें
मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

राजस्थान पत्रिका
घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

अजमेर रोड का मामला...

मंत्री की भी परवाह नहीं, क्षेत्र में अभी तक अतिक्रमण पसरे

जेडीए नहीं कर रहा कार्रवाई, रसूखदार हैं हावी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. अजमेर रोड पर सुशीलपुरा पुलिया से पुरानी चुंगी तक (बाईं ओर) सड़क चौड़ाई में आ रहे निर्माण हटाने की बजाय जेडीए पूरी तरह रसूखदारों को बचाने में जुट गया हैं। यहां कई दुकानें हैं, जिनका सड़क हिस्से का निर्माण हटाना है, जिससे लाखों वाहन चालकों को राहत दी जा सके। गंभीर यह है कि नगरीय विकास मंत्री ने इस मामले में जेडीसी वैभव गालरियों को कहा भी, लेकिन कार्रवाई होना तो दूर प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। इससे अतिक्रमियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। अफसरों ने भी रसूखदारों के दबाव और हावी होती 'राजनीति' के आगे जनता की जरूरत को ताक पर रख दिया। जबकि, कुछ दिन पहले ही यह मामला मंत्री तक पहुंचा और फिर वापस जेडीसी के पास।

सड़क चौड़ाई नहीं बढ़ने से हर दिन हजारों वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। यहां कई दुकानों का 80 से 90 फीसदी निर्माण सड़क हिस्से में ही बना हुआ है। हालांकि पहले जेडीए ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बीच में ही थम गई। लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधि का दबाव भी इसमें आड़े आ गया। जेडीए पिछले दिनों शहर की कई मुख्य सड़कों से बड़ी संख्या में निर्माण ध्वस्त कर चुका है। इस दोहरे रवैये से लोग जेडीए की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

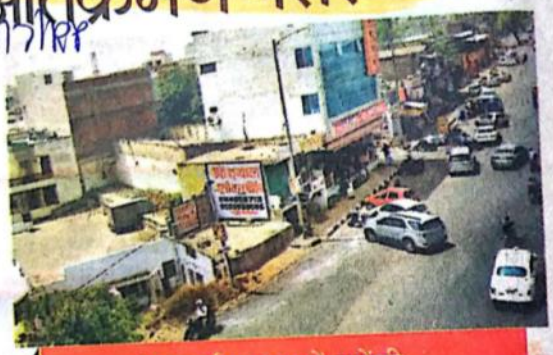

डेढ़ दर्जन दुकानें टूटेंगी...

18 से ज्यादा हैं दुकान-प्रतिष्ठान जो सड़क सीमा में है

11 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्होंने सड़क सीमा में चौबीस फीट तक निर्माण कर लिया

160 फीट चौड़ाई है सड़क की सेक्टर प्लान में

3 वर्ष में कुछ नहीं कर पाया जेडीए...

यहां निर्माण हटाने की कवायद करीब 3 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसके लिए मार्किंग भी की गई। इसके बाद श्मशान का हिस्सा हटाने का काम भी शुरू हुआ। इसी बीच दबाव आने पर काम रुक गया तो स्थानीय लोग जेडीए पहुंचे। ऊपरी निर्देश के बाद अधिकारी चेते और फिर सक्रिय हुए, बाद में राजनीति हावी हो गई।

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12/04/17 को प्रकाशित खबर से साभार

ट्रिब्यूनल के आदेश को एक साल से दबाये बैठा है जे.डी.ए.

नहीं हटा रहा सोढानी स्वीट्स,अंग्रेजी शराब समेत बीस दुकानों का अवैध निर्माण

सुशीलपुरा पुलिया से पुरानी चुंगी(श्मशान) तक सड़क सीमा में बनी हुए है 20-20 अवैध दुकाने

जयपुर की मुख्य सड़कों में से एक अजमेर रोड का विकास एक बार फिर रसूखदारों की भेंट चढ़ गया है|सुशीलपुरा पुलिया से लेकर पुरानी चुंगी तक की करीब बीस दुकानों ने 160 फीट चौड़ी अजमेर रोड पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे तोड़ने के लिए 4 साल से भी अधिक समय पहले इन सब दुकानमालिकों को जे.डी.ए. द्वारा धारा 72 के अंतर्गत नोटिस दिया गया था|परन्तु 4 साल बाद भी ढाक के तीन पात,यह अवैध दुकाने कानून और जे.डी.ए. को मुँह चिढ़ाती नजर आती है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

इसमें कई बड़े शोरूम,मिठाई की दूकान और शराब की दूकान भी शामिल

इन बीस दुकानों में कई नामी गिरामी नाम भी शामिल है|जिनमे सोडानी स्वीट्स,सुप्रीम फर्नीचर्स,डॉग केयर और अंग्रेजी शराब की दूकान प्रमुख है|

कई आयुक्त आये और गए,लेकिन रसूखदारों के रसूख के आगे सब फीके|

जब से जे.डी.ए. ने इन अवैध दुकानों को नोटिस दिए है उसके बाद से कई आयुक्त आये और गए लेकिन किसी ने इन्हें हटवाने की कोशिशे नहीं की|गौरतलब है कि यह दुकाने कई रसूखदारों के स्वामित्व की है जिसके चलते कारण कोई भी अधिकारी इन पर हाथ डालने से कतराता है|

सोढानी स्वीट्स और अंग्रेजी शराब की दुकानों के कारण यहाँ लग जाता है शाम को जाम

जे.डी.ए. के नोटिसों के अनुसार इन 20 दुकानों में अधिकतर ने 160 फीट अजमेर रोड सीमा में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इन दुकानों में से सोढानी स्वीट्स और अंग्रेजी शराब की दूकान के सामने वाहनों की बेतरतीब और अवैध पार्किंग की वजह से शाम के समय सुशीलपुरा पुलिया से निकलते ही इन दुकानों के आगे बोटल नेक की स्थिति बन जाती है और वाहनों का जाम लग जाता है|

जे.डी.ए. ने दिया था धारा 72 का नोटिस

जे.डी.ए. प्रवर्तन द्वारा इन दुकानों को धारा 72 का नोटिस दिया था,धारा 72 उन अतिक्रमणों को दिया जाता है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रखे होते है|इन अतिक्रमणों को सीधे हटाने का प्रावधान है|

4 साल से जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल में था मामला,20 दुकानों में से 12 दुकानदार गए कोर्ट

जे.डी.ए. द्वारा नोटिस देने के चलते इन दुकानों में से 12 दुकानदार 4 साल पहले जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल चले गए|तब से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था,जे.डी.ए. ने भी सोढानी की मिठाई और अंग्रेजी शराब की महक की वजह से इस मामले को जल्दी निपटाने में रूचि नहीं दिखाई और मामला धीमी गति से चलता रहा|

कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने को कहा,किसी प्रकार के नए निर्माण पर पाबन्दी

दिनांक 30/07/2019 को दिए अपने निर्णय में ट्रिब्यूनल ने अपीलार्थियों को 15 दिन का समय देते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए थे,जवाब पेश नहीं करने और दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर 7 दिन के नोटिस पर अग्रीम कार्यवाही करने के आदेश दिए साथ ही इस अवधि में कोई नया निर्माण अतिक्रमण नहीं करने के आदेश भी दिए थे|

एक साल हो गया कोर्ट का फैसला आये,परन्तु अभी तक जे.डी.ए. अधिकारियों की सुस्ती नहीं गयी|

आप को जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले में फैसला आये एक साल से अधिक हो गया है परन्तु जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे है|अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इन अवैध निर्माणों को हटाने में रूचि नहीं दिखाई|जे.डी.ए. अधिकारियों की सुस्ती का परिणाम आम आदमी भुगत रहा है और रोज यहाँ पर लगने वाले जाम में फंस कर प्रशासन को कोसता है|

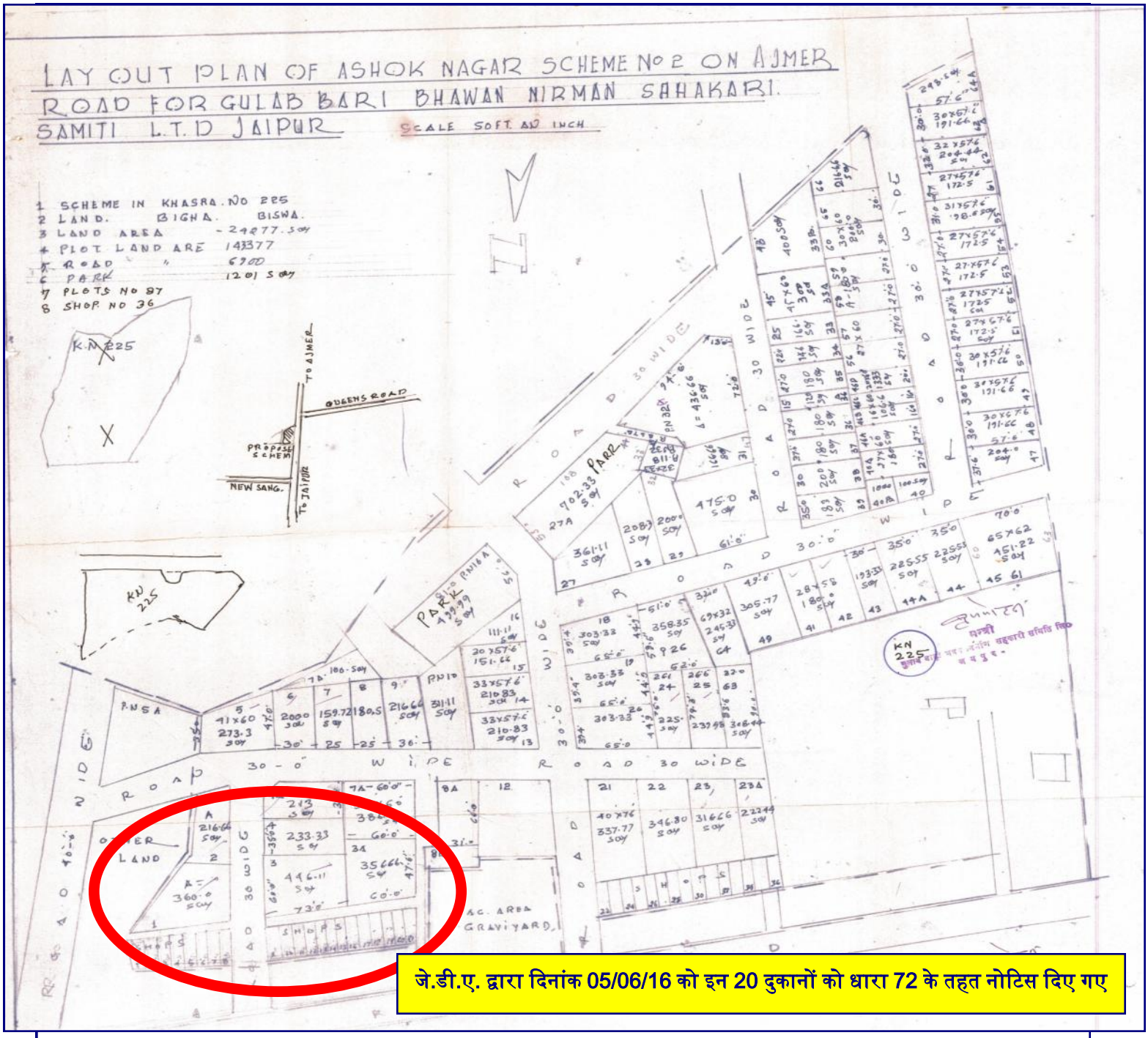

शराब ठेकेदार करवा रहा उपरी मंजिल पर शराबियों को शराब पिलाने के लिए नया निर्माण,शराब की दूकान के मालिक ने नहीं लिया था कोर्ट से स्टे

इन अवैध दुकानों में से दो दुकानों 16 व 17 में एक अंग्रेजी शराब की दूकान भी संचालित है जिसके मालिक द्वारा हाल ही में इन दोनों दुकानों के उपर पूर्व में बने अस्थायी निर्माण को हटा कर पक्का निर्माण करवाया जा रहा है|जे.डी.ए. प्रवर्तन द्वारा इस अवैध निर्माण को कोर्ट के आदेश के चलते रुकवाया भी गया परन्तु अगले ही दिन पुनः निर्माण कार्य चालू कर दिया गया|गौरतलब है कि इन दुकानों के मालिकों द्वारा कोर्ट में भी अपील नही की गयी थी ,जिससे इस दूकान के मालिक के रसूख का पता चलता है|जानकारी के अनुसार दूकान मालिक इस जगह पर अवैध बार बनाने की फिराक में है|

अवैध दुकानों के सामने अवैध पार्किंग की वजह से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है|

अंग्रेजी शराब की दूकान के प्रथम तल में ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध हो रहा अवैध निर्माण